भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 566 का उत्तर

माल ढुलाई प्रोत्साहन योजनाएं

566. श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे में थोक और छोटे कार्गो को आकर्षित करने के लिए माल ढुलाई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उद्योगों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को दी जाने वाली रियायतों और सेवाओं की श्रेणियां क्या हैं;

(ग) क्या गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसी पहल इन माल ढुलाई सुधारों से जुड़ी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार किस प्रकार तीव्र टर्नअराउंड समय और अंतिम-छोर तक संपर्क सुविधा सुनिश्चित करती है; और

(ङ) क्या विशेषकर बालाघाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, एमएमआर क्षेत्र और महाराष्ट्र में उक्त योजनाएं देश की आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और संभार-तंत्र प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत बनाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल ने माल यातायात को बढ़ावा देकर और मालभाड़ा दरों का युक्तिकरण

करके तथा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को अपनाकर आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए बहुपक्षीय रणनीति अपनाई है।

i. इनमें से कुछ पहल कार्य निम्नानुसार हैं:

- टैंक कंटेनरों में थोक सीमेंट के परिवहन के लिए युक्तिसंगत और सरल सकल टन किलोमीटर (जीटीकेएम) आधारित दर संरचना शुरू की है। नई दर संरचना में जटिल स्लैब संरचना (वजन और दूरी के लिए) नहीं है फलस्वरूप सरलता से व्यवसाय करने की सुविधा मिलती है।
- टेलीस्कोपिक दर लाभ को घरेलू कोयला परिवहन पर रेल-समुद्र-रेल (आरएसआर) मोड में विस्तारित किया गया,
- वस्तुओं का पुनर्वर्गीकरण - सोड़ा ऐश डेंस/लाइट, सोडा बाइकार्बोनेट आदि,
- पारंपरिक एम्पटी फ्लो दिशाओं में उदार स्वचालित मालभाड़ा रियायत योजना,
- स्टेशन-से-स्टेशन दर नीति,
- मैरी-गो-राउंड को युक्तिसंगत बनाना,
- छोटी गमन दूरी के यातायात में छूट,
- ओपन/फ्लैट स्टॉक और कवर्ड वैगन में बुक की गई फ्लाई ऐश/बैड ऐश यातायात के लिए मालभाड़े में छूट,
- कंटेनर में प्रति टीईयू ढुलाई दर पर परिवहन के लिए वस्तुओं की अधिसूचना से हटाना,
- संयुक्त पार्सल उत्पाद-रैपिड कार्गो सेवा (जेपीपी-आरसीएस) योजना,
- टाइल्स ट्रैफिक के कंटेनरयुक्त परिवहन के लिए प्रोत्साहन,
- कार्गो एग्रीगेशन-कार्गो एग्रीगेटर परिवहन उत्पाद के लिए नीति आदि।

ii. भारतीय रेल ने सीमेंट, तेल, इस्पात, फ्लाई-एश, ऑटोमोबाइल आदि के लिए सामान्य प्रयोजन वैगन, विशेष प्रयोजन/उच्च क्षमता वैगन और ऑटोमोबाइल कैरियर वैगन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं। अब तक, लगभग 240 रेक

विशेष प्रयोजन वैगन, 374 रेक सामान्य प्रयोजन वैगन और 48 रेक ऑटोमोबाइल वैगन शामिल किए जा चुके हैं।

- रेलवे सुधारों के हिस्से के रूप में हाल ही में सीमेंट परिवहन के लिए "थोक सीमेंट टर्मिनल नीति"लॉन्च की गई है, ताकि रेल भूमि पर थोक सीमेंट टर्मिनल स्थापित करने में सुविधा हो सके। इससे विशेष वैगनों के माध्यम से रेल द्वारा थोक सीमेंट के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
- गैर रेल भूमि और रेल भूमि (आंशिक या पूर्ण रूप से) पर कार्गो टर्मिनल के विकास को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई 'गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति के अंतर्गत अब तक 118 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित यातायात क्षमता 192 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है।
- वित्त वर्ष 2023-24 से, माल और पार्सल टर्मिनलों के सुधार के लिए 14500 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।
- महाराष्ट्र राज्य में अब तक कुल 9 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) कमीशन किए जा चुके हैं, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र भी शामिल है, और इसमें कुल 548.69 करोड़ रु. का निवेश किया गया है। इसके अलावा, मुंबई महानगर क्षेत्र सहित महाराष्ट्र राज्य में 91 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें माल और पार्सल टर्मिनलों के विकास के लिए 932.34 करोड़ रु. की राशि शामिल है।

iii. सरकार क्षमता संवर्द्धन कार्यों सहित त्वरित कार्यान्वयन समय और अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे :

- महत्वपूर्ण रेल मार्गों का दोहरीकरण और मल्टी ट्रैकिंग,
- इंजन-ऑन-लोड (ईओएल) योजना,
- सिलो, प्रीवेबिन, टिप्लर, हॉपर, कन्वेयर बेल्ट आदि के साथ टर्मिनलों का यांत्रिकीकरण,

- **ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कमीशनिंग,**
- **व्यस्त टर्मिनलों पर संकुलन कम करने के लिए फ्लाईओवर और बाईपास का निर्माण,**
- **कार्गो का कंटेनरीकरण और प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नीति के अंतर्गत उद्योगों तक सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना, ताकि कुशल मल्टीमॉडल परिवहन विकास को बढ़ावा दिया जा सके।**

*****